तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-07-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री हंगामीलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत दोनों निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10-8-2006 को प्रकरण शीर्षक श्रीमती कान्ता बनाम जीवणी में पारित आदेशों के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। दोनों प्रकरणों में निहित पक्षकारान व विवाद बिन्दु समान होने से दोनों निगरानियों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय सम्बन्धित पत्रावली में लगाया जाए। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान गैर निगराकार संख्या 1 से 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष आराजी स्थित ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर खसरा नम्बरान 880, 2718, 2720 के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष लंबित रहे इन प्रकरणों में पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के द्वारा अविधिक रुप से खारिज किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बरान 2718 व 2720	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में से प्रतिवादी श्रीमती जीवणी से उसके हिस्से की भूमि जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 5-6-1995 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि को वादीगण ने वाद में शामिल किया गया है। यह मुख्त्यारनामा अनिरस्तनीय हो कर भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(10) के अनुसार कनवेन्स डीड की परिभाषा में आता है। उक्त दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क अदा किया गया है और विधिवत पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है। क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में वादपत्र प्रस्तुत होने से प्रार्थी वाद में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेहद संक्षिप्ति आदेश से, बिना कोई कारण अंकित किए प्रार्थी का पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में R.B.J. 2003 page 155 एवं R. R.T. 2007 page 419 उद्धरित करते हुये कथन किया कि क्रेता वाद में आवश्यक पक्षकार होता है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि न्याय दृष्टान्त R. R.D. 1995 page 153, R. R.D. 1995 page 281, R. R.T. 2002 page 390 के अनुसार न्यायालय को पक्षकार संयोजित करने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि R. R.D. 2007 page 43 के अनुसार वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से क्रेतागण को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने में क्षेत्राधिकार का सदुपयोग नहीं किया गया है, अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जा कर निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाये और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाये और प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने, अधिवक्ता प्रार्थी की बहस के विरोध में कथन किया कि वादी अपने वाद का मालिक होता है और वह जिस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार से अनुतोष चाहे, उसे ही पक्षकार संयोजित करता है। वादी की इच्छा के विपरीत किसी भी व्यक्ति को वाद में बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सकता है। वाद पत्र धारा 53 के तहत विभाजन का है और विभाजन के वाद में समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं करने का जो आदेश दिया है, उसमें किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/वर्तमान गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादीगण/वर्तमान निगरानी के गैर निगराकार संख्या 3 से 6 के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष आराजी स्थित ग्राम माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर खसरा नम्बरान 880, 2718, 2720 के सम्बन्ध में अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा इन प्रकरणों में पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बर 2718 व 2720 में से प्रतिवादी श्रीमती जीवणी से उसके हिस्से की भूमि जरिए पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 5-6-1995 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :- **10- (2) Court may stirke out or add parties.—**The Court may at any stage of the proceedings, either upon or without the	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	application of either party, and on such terms as may appear to the Court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, be struck out, and that the name, of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the Court may be necessary in order to enable the Court effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit, be added. आदेश 1 नियम 10 (2), व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम पर ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, किसी भी पक्षकार का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा, जो कि न्यायालय का विवेकाधिकार का प्रश्न है। स्पष्ट है कि दावा वर्ष 2001 में दायर किया गया है और उससे पूर्व ही प्रार्थी द्वारा आराजी को क्रय किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने न्याय दृष्टान्त R.B.J. 2003 page 155 में एवं R. R.T. 2007 page 419 में स्पष्ट रुप से व्यवस्था दी है कि किसी भी वाद में क्रेता आवश्यक पक्षकार होता है, अतः क्रेता को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए। माननीय राजस्व मण्डल की एकपीठ ने R. R.D. 1995 page 153 में यह माना है कि किसी भी वाद में वादी अपने वाद का मास्टर होता है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद में, किसी भी अन्य व्यक्ति को जिससे कि उसे कोई अनुतोष नहीं चाहिए, पक्षकार संयोजित किए जाने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता है किन्तु वाद की कार्यवाही को अंतिम रुप से निस्तारण करने के उद्देश्य से पक्षकार संयोजित करने का न्यायालय को अधिकार रहता है। इसी प्रकार से R. R.D. 1995 page 281 में माननीय राजस्व मण्डल की एकपीठ ने इसी आशय का मंतव्य व्यक्त किया है कि न्यायालय वाद की किसी भी कार्यवाही के स्तर पर, आवेदन के आधार पर या आवेदन प्रस्तुत किये बिना, प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार के रुप में संयोजित किया जा सकता है। इसी प्रकार का मंतव्य R. R.T. 2002 page	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	390 में व्यक्त किया गया है। प्रार्थी सद्भावी क्रेता होने से प्रार्थी का हित प्रश्नगत भूमि में निहित हो चुका है और इस प्रकार की स्थिति में प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार को यदि विचारण न्यायालय के स्तर पर लंबित वाद में पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो इससे प्रार्थी को न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा और सम्भावना रहेगी कि प्रार्थीया द्वारा सक्षम उपचार हेतु अन्य न्यायालयों में या अन्य स्थान पर चाराजोही की जावे। इस प्रकार की स्थिति में वाद में अनावश्यक वाद बाहुल्यता व जटिलताएं भी पैदा होने की सम्भावना होगी। R. R.D. 2007 page 43 के अनुसार स्पष्ट व्यवथा दी गई है कि वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिए। फलतः उपरोक्त विवेचन, विधिक प्रावधानों, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति व उद्धरित न्याय दृष्टान्तों की रोशनी में स्पष्ट है कि निगराकार प्रश्नगत भूमि का क्रेता है और विक्रेता के पद चिन्हों पर है। सद्भावी क्रेतागण को वाद में पक्षकार बनाये बिना वादपत्र को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित नहीं है और इस प्रकार की कार्यवाही से प्रकरण को अंतिम रुप से तय नहीं किया जा सकेगा बल्कि क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद बाहुल्यता की सम्भावना भी रहेगा। अतः श्रेयस्कर यही है कि प्रार्थी–क्रेता को वादपत्र की कार्यवाही में बतौर पक्षकार संयोजित किया जाए और उसका भी पक्ष निर्णय पारित करने से पूर्व विधिवत रुप से सुना जाए। अतः हम, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय क्षेत्राधिकार का सही प्रकार से सदुपयोग नहीं किया जाना पाते हैं और मण्डल में निहित निगरानी की शक्तियों का सदुपयोग करते हुये, निगरानीधीन आदेश को अपास्त कर क्रेता–प्रार्थी को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाना उचित मानते हैं। अतः निगरानी सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10–8–2006 को प्रकरण शीर्षक श्रीमती कान्ता बनाम जीवणी में पारित आदेशों को निरस्त किया जाता है। प्रार्थी–क्रेता द्वारा विचारण न्यायालय में पक्षकार संयोजित किए जाने के आशय हेतु प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/7435/2006/अजमेर निगरानी/टिए/7437/2006/अजमेर ओमप्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती कान्ता ओझा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 01 नियम 10, व्यवहार प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीया को बतौर प्रतिवादी पक्षकार संस्थापित किया जाये और उसे मूल वाद की कार्यवाही में एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 में प्रार्थी का भी पक्ष सुना जाए। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 17-7-2018 को परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	